क्रम संख्या–12

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, बृहस्पतिवार, 24 जनवरी, 2019 ई0

माघ 04, 1940 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग–8

संख्या 89 / 2019 / 14(120) / XXVII(8) / 2018 / CTR–28

देहरादून, 24 जनवरी, 2019

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम सं0 6 वर्ष 2017) की धारा 11 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–8 की समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्या 530/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 दिनांक 29 जून, 2017 में निम्नलिखित अग्रेत्तर संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, -

(i) सारणी में, -

(क) क्रम संख्या 21क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"21ख	शीर्षक 9965 या शीर्षक 9967	किसी ऐसे माल परिवहन एजेंसी द्वारा, - (क) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के विभाग या संस्थापना; या (ख) स्थानीय प्राधिकरण; या (ग) सरकारी एजेंसियों, जिन्होंने धारा 51 के अन्तर्गत कर में कटौती किए जानें के उद्देश्य से , उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) के अंतर्गत अपना पंजीकरण कराया है, न कि माल या सेवाओं की कराधेय आपूर्ति करने के लिए, को किसी गुड्स कैरिज में माल का परिवहन करके प्रदान की जाने वाली सेवाएं ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं";

(ख) क्रम संख्या 27 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"27 क	शीर्षक 9971	किसी बैंकिंग कंपनी के द्वारा प्रधान मंत्री जन धन योजना (PMJDY) के अंतर्गत बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट (BSBD) खाताधारकों को प्रदान की जाने वाली सेवाएं ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं";

(ग) क्रम संख्या 34क के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, "पीएसयू द्वारा" शब्दों के पश्चात "बैंकिंग कंपनियां एवं" शब्दों को अंत:स्थापित किया जाएगा,

(घ) क्रम संख्या 66 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-
"शीर्षक 9992 या शीर्षक 9963";

(ङ) क्रम संख्या 67 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को विलोपित कर दिया जाएगा;

(च) क्रम संख्या 74 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"74क	शीर्षक 9993	भारतीय पुर्नवास परिषद अधिनियम, 1992 (1992 का 34) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त व्यावसायिकों के द्वारा चिकित्सा संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या अन्य निकायों, जो कि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 12कक के अंतर्गत पंजीकृत हों, द्वारा स्थापित पुर्नवास केन्द्रों में पुर्नवास, थैरैपी या काउंसलिंग और ऐसी ही अन्य क्रियाओं, जो कि आरसीआई एक्ट, 1992 के अंतर्गत आती हैं, के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएं ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं";

(ii) पैराग्राफ 2 में उपवाक्य (यक), के पश्चात निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-
"(यकक) "वित्तीय संस्थान" का वही अभिप्राय होगा जो कि इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45झ की उपवाक्य (ग) में दिया गया हो";

2. यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2019 से प्रवर्तित होगी ।

आज्ञा से,

अमित सिंह नेगी,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No.89/2019/14(120)/XXVII(8)/2018/CTR-28,** dated Dehradun, January 24, 2019 for general information:

No. 89/2019/14(120)/XXVII(8)/2018/CTR-28
Dated Dehradun, January *24, 2019*

NOTIFICATION

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 06 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, is pleased to allow to make the following further amendments in the notification of the Government of Uttarakhand Finance Section-8, No. 530/2017 /9(120)/XXVII(8)/2017 Dated 29 June, 2017 as amended from time to time, namely:-

In the said notification, -

(i) in the Table, -

(a) after serial number 21A and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"21B	Heading 9965 or Heading 9967	Services provided by a goods transport agency, by way of transport of goods in a goods carriage, to, - (a) a Department or Establishment of the Central Government or State Government or Union territory; or (b) local authority; or (c) Governmental agencies, which has taken registration under the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) only for the purpose of deducting tax under Section 51 and not for making a taxable supply of goods or services.	Nil	Nil";

(b) after serial number 27 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"27A	Heading 9971	Services provided by a banking company to Basic Saving Bank Deposit (BSBD) account holders under Pradhan Mantri Jan DhanYojana (PMJDY).	Nil	Nil";

(c) against serial number 34A, in the entry in column (3),after the letters and words "PSUs from the", the words "banking companies and" shall be inserted;

(d) against serial number 66, for the entry in column (2), the following entry shall be substituted namely:-

"Heading 9992 or Heading 9963";

(e) serial number 67 and the entries relating thereto, shall be omitted;

(f) after serial number 74 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"74A	Heading 9993	Services provided by rehabilitation professionals recognised under the Rehabilitation Council of India Act, 1992 (34 of 1992) by way of rehabilitation, therapy or counselling and such other activity as covered by the said Act at medical establishments, educational institutions, rehabilitation centers established by Central Government, State Government or Union territory or an entity registered under section 12AA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961).	Nil	Nil";

(ii) in paragraph 2, after clause (za), the following clause shall be inserted, namely: -

"(zaa) "financial institution" has the same meaning as assigned to it in clause (c) of Section 45-I of the Reserve Bank of India Act,1934(2 of 1934).";

2. This notification shall come into force from the 1st day of January, 2019.

By Order,

AMIT SINGH NEGI,
Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 12 वित्त/59–2019–100+100 (कम्प्यूटर/रीजियो)।